



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर-492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू-प्रबंध/विविध/115-889-A/ 1996

रायपुर, दिनांक 06/09/2022

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
बालोद वन मंडल, बालोद
छत्तीसगढ़

विषय:- Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Jio Digital Fiber Private Ltd., Raipur Laying Optical Fiber Cable (OFC) Line in Balod Forest Division Chhattisgarh Sanchar Kranti Yojana (SKY) Area - 2.895 Ha.

— पंजीयन क्रमांक — FP/CG/OFC/46941/2020
संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक दुर्ग वृत्त, दुर्ग का पत्र क्रमांक /तक अधि/6120 दिनांक 17.08.2022

-0-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से बालोद जिले के बालोद वन मंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत महाप्रबंधक, जियो डिजिटल फायबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रकबा 2.895 हे. वन भूमि में OFC लाईन बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

उक्त प्रस्ताव में नोडल कार्यालय में परीक्षण उपरांत त्रुटियां पाई गई हैं जो निम्नानुसार हैं:-

आनलाईन त्रुटियां:-

1. Form A Part-II के कालम न. 3 (District wise area to be diverted in the division) में 721.873 का उल्लेख किया गया है। जो सही नहीं है। सही जानकारी 2.895 हे. है। सही जानकारी अपलोड किया जाना होगा।
2. वनमंडलाधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन भाग-2 के कॉलम न. 6 (i) में भौगोलिक क्षेत्रफल - 3605.60 वर्ग कि.मी. 6 (ii) में वन क्षेत्रफल - 862.920 वर्ग कि.मी. आनलाईन Form A Part-II के कालम न. 14 District Profile में Geographical area of the district (in ha.) - 360500 and Forest area - 86290 उल्लेख किया गया। दोनों स्थानों में सही जानकारी आवश्यक है।
3. Form A Part-II के कालम न. 15 (Site inspection report of the DFO/CCF/Nodal Officer highlighting important facts pertaining to the forest land) में प्रपत्र-3 अपलोड किया गया है। उक्त प्रपत्र-3 के बिन्दु क्रमांक-5 वन भूमि के विस्तृत वन भूमि विवरण (यथा संरक्षित /आरक्षित) नहीं दिया गया है जिसे सुधार कर अपलोड करें।

आफलाईन त्रुटियां:-

1. प्रपत्र-3 वन संरक्षक/वनमंडलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के बिन्दु क्रमांक-5 वन भूमि का विस्तृत विवरण में वन भूमि रकबा 2.731 हे. अंकित किया गया है। संरक्षित एवं आरक्षित वन का पृथक-पृथक रकबा का विवरण नहीं दिया गया है। जिसे सुधार किया जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्तानुसार त्रुटियों का सुधार कर परिवेश पोर्टल में अपलोड कर संशोधित प्रस्ताव यथाशीघ्र भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- प्रस्ताव मूलतः 03 प्रतियों में

अ.प्र.मु.व.स (भू - प्रबंध / व.सं.अ)

छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 06/09/2022

पृ. क्र0/भू-प्रबंध/विविध/115-889-A/ 1997

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग, छत्तीसगढ़।
2. महाप्रबंधक (कार्पोरेट. अफेयर्स) जियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड चतुर्थ तल, अम्बुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (सड़डू), रायपुर (छ.ग.)।

अ.प्र.मु.व.स (भू - प्रबंध / व.सं.अ)

छत्तीसगढ़